आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, मुंगेर

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0-8/2018-19

राज्य

बनाम्

श्री बली भगत, पे0-नन्हकु भगत एवं अन्य

आदेश

2-8-9-18

प्रस्तुत वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सदर, मुंगेर के पत्रांक 378 दिनांक- 19.07.2018 द्वारा जमावंदी रद्दीकरण 8/2018-19 राज्य बनाम् श्री बली भगत एवं अन्य का अभिलेख टोपो लैंड की जमाबन्दी रद्द करने हेतु जो अंचलाधिकारी सदर मुंगेर द्वारा दिये गये प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा-जमालकीता, तौजी नं0-446 एवं 450, खाता+खेसरा-टोपो से संबंधित भूमि जिसका जमाबंदी नं0-क्रमशः 127/140, 145/159, 154/168, 146/160, 167/181, 335, 355, 188, 198, 200, 247, 253, 257, 288, 444, 446, 27 एवं 331 पर श्री बली भगत पे0-नन्हकु भगत, सा0-लाल दरबाजा एवं 17 (सतरह) अन्य का नाम पंजी-2 में दर्ज है जिसे अनुशंसा के साथ जमाबन्दी रद्दीकरण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तुत वाद को दिनांक-26.07.2018 को अंगीकृत करते हुए राज्य की ओर से टोपो लैंड के दावाकर्त्ता को नोटिस इस आशय से दिया गया कि वे अपने दावे के समर्थन में आवश्यक कागजात प्रस्तुत कर दावा सिद्ध कर सकते हैं। नोटिस पाने के उपरान्त जमाबंदीधारी इस न्यायालय में अपने-अपने विद्वान अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित हुए और अपना लिखित अभिकथन दायर किया। दिनांक-25.09.2018 को वाद बहस हेतु निश्चित किया गया।

पक्षकारों का बहस सुना। राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा मौखिक बहस के अलावा लिखित बहस दिनांक 07.09.2018 को इस न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रस्तुत लिखित बहस में सरकारी अधिवक्ता ने यह उल्लेख किया है कि गंगा के गर्भ वाली भूमि सरकार की होती है और गंगा के गर्भ में रहने के कारण उस जमीन को बंगाल सर्वे एक्ट के द्वारा सर्वे नहीं किया जा सका, वह भूमि 'टोपो लैंड' के नाम से जाना गया। प्रश्नगत टोपो भूमि उपरोक्त जमाबंदी रैयत के नाम से कभी सरकार द्वारा बन्दोवस्त नहीं किया गया है एवं खतियान भी तैयार नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रस्तावित भूमि सरकारी भूमि है। जिसपर जमाबंदीधरियों का दावा गैर कानूनी है। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता का यह कहना है कि इसी तरह के तथ्य से संबंधित एक मामला तारकदास आचार्य चौधरी वनाम् राज्य सेक्रेटरी (AIR-1935 PC 125) में यह Privy Council द्वारा निर्धारण किया गया कि जिस भूमि का सर्वे नहीं किया गया वह जमीन सरकार की सम्पत्ति मानी जाएगी और सरकार को प्रस्तुत भूमि का

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

स्वत्व एवं दखल कब्जा और हित पूर्णरूपेण प्राप्त है। पूर्व मे अंचल कार्यालय द्वारा जो भी जमाबंदी दावाधारियों के पक्ष में सृजित किया गया है वह विधिवत नहीं किया गया है, इसलिए यह वैद्य नहीं है। इसलिए जमाबंदीधरियों का जमाबंदी खारिज किया जाय।

जमाबंदीधारियों की तरफ से बहस किया गया एवं दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किया गया। जमाबंदीधारियों का कहना है कि उन्होंने प्रश्नगत भूमि केबाला द्वारा खरीदी एवं दखल में आए और अपना नाम अंचल सिरिस्ता में दर्ज कराया। जमाबंदीधारी जमाबंदी सृजन होने के समय से ही राजस्व लगान सरकार को आज तक देते आ रहे है और रसीद प्राप्त कर रहे है। यहाँ पर यह कह देना उचित होगा कि जमाबंदी रैयत द्वारा प्रस्तावित भूमि के संदर्भ में जो भी दस्तावेज दाखिल किया गया है उक्त सभी वादो में राज्य सकरार पक्षकार नहीं है। इसलिए उक्त वादो में हुए निर्णय का असर राज्य सरकार के स्वत्व एवं दखल कबजा को प्रभावित नहीं करेगा। किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी सृजन से उनके पक्ष में स्वत्व का होना नहीं माना जाता है इसलिए जो भी मालगुजारी रसीद प्रस्तुत किया गया है वह तो विधिवत जमाबंदी सृजन के बगैर है। साथ ही यह भी उद्धृत करना आवश्यक है कि जमाबंदी सृजन होने के वाद लगान लेने पर जो रसीद निर्गत की जाती है वह विना किसी विपरीत प्रभाव के होता है। इसलिए रसीद के आधार पर दावा किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। इस परिप्रेक्ष्य में विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का पुनः यह कथन है कि प्रस्तावित भूमि का जमाबंदी वर्षों पहले सृजित की गई है एंव लगान रसीद निर्गत है। अतः जमाबंदी रद्द करने योग्य नहीं है।

दावाधारियों द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उस पर सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि वह किसी भी तौर से सरकार के हित को प्रभावित नहीं करता है।

दावाधारियों के द्वारा एक दीवानी वाद सं0 11/1956 का जो जिक्र किया गया है वह राज्य पर लागू नहीं है क्योंकि इसमें राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

जहाँ तक विपक्षीयों द्वारा केबाला प्रस्तुत करने का सवाल है, इस संदर्भ में विदित है कि निबंधन कार्यालय सिर्फ दस्तावेजों का निबंधन करता है। इस प्रकार यदि कोई दस्तावेज निबंधन कार्यालय द्वारा निष्पादित किया जाता है तो भी राज्य के स्वत्व अधिकार पर उसका कोई प्रतिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दावाधारियों के द्वारा यह भी बहस के दरम्यान कहा गया की उनका दावा कागजातों के अलावे दखल कबजा के आधर पर भी बनता है। सरकार के जमीन पर सरकार की जानकारी में करीब 30 वर्षों से अधिक समय से दावेदार जमीन के दखल में है। इस प्रकार उनका Adverse Position के आधार पर भी स्वत्व अधिकार वनता है।

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

इस संदर्भ में सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा कि दावाधारियों का Adverse Position के आधर पर कोई दावा नहीं बनता है। क्योंकि दावेदार अपने लिखित अभिकथन में कहीं भी यह जिक्र नहीं किया है कि किस तारीख को दावेदार सरकार की भूमि पर दखल में आए और किस तारीख को उनका दखल सरकार के खिलाफ Adverse हो गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि वे बिना रोक-ठोक के सरकार की जानकारी में प्रश्नगत भूमि पर लगातार बिना किसी टूट के जमीन के दखल में चले आ रहे हैं। सिर्फ मौखिक बहस के आधार पर किसी का दावा स्वीकृत नहीं किया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने अपने निर्णय जो 1982 Vol-1 PLJR HC 297 ठाकुर साह बनाम् शिवपूजन वगैरह के केश में इसी तरह का फैसला दिया है कि दावेदारों को सारे तथ्य जिसके आधार पर वे दावा मानते हैं अपने अभिवचन में लाना पड़ेगा, अन्यथा वह विचारणीय नहीं होगा। इस तौर से भी दावेदारों का दावा खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि जमाबंदीधारित व्यक्तियों का जमाबंदी सृजित होने का कोई आधार नहीं था और न ही जमाबंदी नियमानुकुल सृजित किया गया। अतः खारिज होने योग्य है।

अतएव उक्त वर्णित तथ्यों एवं अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सदर मुंगेर एवं अनुमंडल पदाधिकारी, सदर मुंगेर के अनुशंसा के आधर पर तथा निदेशक भू-अर्जन के पत्रांक 652/रा0, दिनांक 08.06.2018 द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में एवं पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकनोपरान्त मौजा-जमालकीता, तौजी नं0-446 एवं 450, खाता+खेसरा-टोपो, से संबंधित निम्न ब्यौरे की जमीन की चल रही जमाबंदी को बिहार दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा 09 के तहत् रद्द की जाती है।

जमीन का ब्यौराः-

क्रम सं0	मौजा	तौजी नं0	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता+खेसरा	रकवा	जमाबंदी सं0
1	2	3	4	5	6	7
1	जमालकिता	446	वली भगत, पे0-नन्हकु भगत, सा0 लालदरवाजा	टोपो	3-01.5	127/140
2	जमालकिता	446	रामेश्वर यादव, पे0-गाढ़ो यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	10-00	145/159
3	जमालकिता	446	रामेश्वर यादव, पे0-गाढ़ो यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-62.5	154/168
4	जमालकिता	446	कैलाश यादव उर्फ जाटो यादव, पे0-लक्ष्मी यादव	टोपो	8-21.87	146/160

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

			वो जया देवी, जौ0-कैलाश यादव, सा0-लालदरवाजा			
5	जमालकिता	446	माया देवी, जौ0-रामेश्र यादव सा0-लालदरवाजा	टोपो	12.25	167/181
6	जमालकिता	446	हेमा देवी, जौ0-रामसागर पासवान, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-26.66	335
7	जमालकिता	446	अमरेश कुमार, पे0-शिव प्र0 यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-31.25	355
8	जमालकिता	450	रामेश्वर यादव, पे0-अकलु यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	1-56.25	188
9	जमालकिता	450	सखिचन्द्र यादव, पे0-बोतल यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-62.5	198
10	जमालकिता	450	तुलो यादव, पे0-रितो यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-62.5	200
11	जमालकिता	450	प्रभु दयाल यादव, पे0-रामधनी यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	1-87.5	247
12	जमालकिता	450	श्री गणेश यादव, पे0-जोखा यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-93.75	253
13	जमालकिता	450	दिनदयाल यादव वो प्रभु दयाल सागर वो राणा विजय यादव वो शिवदयाल यादव, पे0-रामधनी यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-93.75	257
14	जमालकिता	450	रामदास यादव, पे0-कन्तलाल यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	1-25	288
15	जमालकिता	450	उषा देवी, जौ0-सुरेश प्र0 यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	0-21	444
16	जमालकिता	450	सुरेश प्र0 यादव वो नरेश प्र0 यादव	टोपो	0-21	446

आदेश की क्रम- संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर दी गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।

			वो सिकन्दर यादव, पे0-स्व0 सहदेव यादव वो राधा देवी जौ0-सिंघेश्वर प्र0 यादव, सा0-लालदरवाजा			
17	जमालकिता	446	विष्णुदेव यादव, पे0-स्व0 दरवारी यादव, सा0-लालदरवाजा	टोपो	3-12.5	27
18	जमालकिता	450	सहदेव यादव, पे0-रामोतार यादव, सा0-लालदरवाजा, दुर्गास्थान	टोपो	1-87.5	331

इस वाद में पारित आदेश का अनुपालन हेतु अंचल अधिकारी, सदर मुंगेर को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
मुंगेर।

18/9/18

अपर समाहर्त्ता
मुंगेर।